निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**7 आश्विन 1943 (श0)**
**(सं0 पटना 822) पटना, बुधवार, 29 सितम्बर 2021**

---

नगरपालिका प्रशासन निदेशालय
(नगर विकास एवं आवास विभाग)

---

vf/klpuk
31 अगस्त 2021

**सं० 10/न0वि0/निर्वा0–05/2021–2690/न0प्र0नि0—**राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 1508 दिनांक 13.03.2021 द्वारा नगर परिषद् बिहट के निर्वाचित बोर्ड का पाँच वर्ष का कार्यकाल दिनांक 26.06.2021 को समाप्त हो जाने की सूचना दी गई है।

2. नगर परिषद् बिहट के गठन हेतु तत्काल निर्वाचन नहीं हो सका है। अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 12 (9) के प्रावधानों के तहत नगर परिषद् बिहट का कार्यकाल समाप्ति के फलस्वरूप उक्त अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नगर परिषद् बिहट में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**
**राहुल बर्मन,**
**सरकार के उप सचिव।**

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 822-571+10-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**